

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नम्बर 1192/2011 हनुमानगढ

सहायक आयुक्त

वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, हनुमानगढ

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शंकर ऑयल मिल्स

हनुमानगढ

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरना,

उप राजकीय अभिभाषक

.... अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक 20.03.2015

निर्णय

यह अपील सरकार की ओर से अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.10.2010 प्रस्तुत की गयी है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2010 उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर ने प्रकरण संख्या 305/आरवैट/हनुमानगढ/09-10 में पारित किया है।

उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरना उपस्थित। प्रत्यर्थी को कई बार आवाज लगवाने पर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उप राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार बताये कि अप्रार्थी फर्म विनिर्माता है। उसके द्वारा कपास एवं नरमा की जिनिंग एवं प्रेसिंग करने के पश्चात् वह उसमेमं रूई की गांठे एवं बिनौला निकालता है। उसके पश्चात् वह उक्त बिनौला से बिनौला तेल का निर्माण करता है। इस दौरान इससे सह उत्पाद खल का निर्माण करता है। अप्रार्थी की फर्म का वर्ष 2006-07 का कर निर्धारण दिनांक 19.03.2009 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया। उस पर सक्षम अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)ई के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपातिक आधार पर कर मुक्त बिक्री बिनौला खल पर लिये गये इनपुट टेक्स क्रेडिट को अस्वीकार करते हुये रिवर्स टेक्स रू. 03,50,991/- तथा प्रचेज टेक्स रू. 77,250/- एवं ब्याज रू.01,16,578/- आरापित किये है। अपने अपीलाधीन आदेश में उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक

वे

है एवं धारा 18 (1) के प्रावधानों से भिन्न रूप से कितना माल का उपयोक्त है प्रयुक्त करते हैं खल का निर्माण भी किया गया है जो कि राज्य में कर भुक्त द्वारा अपवर्जित होने से माल का कथन किया जाकर उसे निर्माण प्रक्रिया में का समाधान देय है न कि सम्पूर्ण खरीद ग्राहियों पर। इसी प्रकार अपवर्जित कब्जा माल पर केवल कर योग्य माल के निर्माण के अर्जुपात में ही आगत कर और वेट 2003 की धारा 18 एवं परन्तुक के प्रावधानों के अर्जुपात उपरोक्त विनिर्माण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में माना है कि विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं रुई, बिनोला, तेल एवं खल का व्यवसाहियों से रु. 01,48,90,405/- नरमा कपास खरीद की जाकर इससे इसी प्रकार उपरोक्त अवधि में ही अपवर्जित द्वारा राज्य के अपवर्जित में प्रयुक्त करते हैं रुई, बिनोला, तेल तथा खल का विनिर्माण किया गया। का कर योग्य नरमा कपास एवं बिनोला की खरीद गयी है एवं इस कब्जा माल निम्न ने आलौच्य वर्ष में राज्य के पंजीकृत व्यवसाहियों से रु. 06,77,22,806/- इतने पंजीकृत का अवलोकन किया। अपवर्जित भूमि शंकर अंतर्गत किया जा रहा है जो कि सह उत्पाद नहीं है।

गर्ह भूदा व सूर्जी के निर्माण हेतु था जबकि प्रस्तुत प्रकरण में खल का निर्माण प्रकरण में चौकर का विनिर्माण सह उत्पाद के रूप में किया जाता था जबकि फंड लि. के तथ्यों पूर्णतया भिन्न है और इसलिये भूमि दूर्गवर्षी फंड लि. के उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि इस प्रकरण के तथ्य भूमि दूर्गवर्षी इवाला दिया है जिस 2009 23 टेक्स अपडेट 360 में प्रकाशित किया गया है। राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निर्मित भूमि दूर्गवर्षी फंड लि. श्रीगंगानगर का आदेश जारी करते समय उपयुक्त (अपील्स) गणित्यिक कर, बीकानेर ने भूल की है। उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलार्थी ने उचित था जिस अपारत कर उपयुक्त (अपील्स) गणित्यिक कर, बीकानेर ने भुक्त खल पर देय नहीं है और इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी का आदेश है। ऐसी स्थिति में धारा 18 (1)ई के प्रावधान के अन्तर्गत आई टी सी कर है जबकि कपास एवं बिनोला तेल कर योग्य है एवं बिनोला खल कर भुक्त खल का विनिर्माण करता है और सी प्रतिशत इनपुट टेक्स क्रेडिट क्लेम करता व्यवसायी का सर्व किया गया और पया कि व्यवसायी कपास, बिनोला तेल व आदेश नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कहना है कि उप राजकीय अभिभाष श्री पंखरना का कथन है कि अपीलार्थी ने

अपील प्रस्तुत की है।

खल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इससे अहित होकर सरकार ने यह कर, बीकानेर ने सक्षम अधिकारी द्वारा आयोजित रिवर्स टेक्स, प्रवेज टेक्स एवं

धारा 4 (2) आर बेट 2003 के तहत कर दायित्व बनता है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हीने अपना आदेश जारी करने से पूर्व आर बेट की धारा 18 (1)ई की व्याख्या की है और उनका आदेश तर्क संगत है। उपर्युक्त (अपील्स) गणितीयक कर, बीकानेर के आदेश से उसकी व्याख्या नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त (अपील्स) गणितीयक कर, बीकानेर ने अपने पूरे आदेश को मैसर्स दुर्गावती फूड लि. से दिये गये निर्णय के आधार पर अपना आदेश सुनाया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य पूर्णतया भिन्न होने से राजस्थान कर बोर्ड का उपरोक्त निर्णय इस पर लागू नहीं होता है।

फलतः हम नतीजे पर पहुँचते हैं कि उपर्युक्त (अपील्स) गणितीयक कर, बीकानेर का निर्णय तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं तर्क संगत भी नहीं है। अतः सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उपर्युक्त (अपील्स) गणितीयक कर, बीकानेर का आदेश दिनांक 12.10.2010 अपास्त किया जाता है तथा सहायक आयुक्त, गणितीयक कर वृत-बी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 19.03.2009 की पुष्टि करते हुये बहाल किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

५-

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष